



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।
अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के बिजली के तार , कटर ,अवैध तमंचा व कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन आदि बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि थाना तिंदवारी के रहने वाले आदित्य ने थाना तिंदवारी पर सूचना दी कि दिनांक 22.07.2026 को उनके स्टोर से किसी ने एल्युमीनियम के बिजली के तार चोरी कर लिये हैं । सूचना पर थाना तिंदवारी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था । अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का संकलन एवं विश्लेषण करते हुए, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी । इसी क्रम में दिनांक 23/24.07.2026 की रात्रि को थाना तिंदवारी पुलिस द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को गौखरही मोड़ ग्राम परसोडा से गिरफ्तार कर लिया गया । तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी किए बिजली के तार , तार काटने में प्रयुक्त कटर ,चोरी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन व अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुए । पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 01.01.2026 को कस्बा तिंदवारी से ई-रिक्शा की बैटरी तथा दिनांक 07.06.2026 को ग्राम भिटोरा से टॉवर के कार्ड भी चोरी किये थे व दिनांक 22.07.2026 को बिजली के तार के बंडल चोरी कर भाग रहे थे । पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बरामद सभी माल व घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन को भी कब्जे में लिया गया । इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा और गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है ।

बरामदगी-

1. 68 किलोग्राम एल्युमीनियम के बिजली के तार (चोरी के)
2. 01 चारपहिया (चोरी में प्रयुक्त)
3. 01 अवैध तमंचा 12 बोर
4. 01 जिंदा कारतूस 12 बोर
5. 01 लोहे का कटर (तार काटने में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक पुत्र बदलू उर्फ भोलाबाबा निवासी ग्राम बेलदरइया बाकरगंज थाना कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर ।
2. सैफ पुत्र इम्तियाज निवासी ओल्ड कटरा बख्तियारी थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 125/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0 024/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0 153/26 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना तिंदवारी जनपद बांदा ।
- मु0अ0सं0 156/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिंदवारी जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास सैफ पुत्र इम्तियाज –

1. मु0अ0सं0 114/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सिविल लाइन्स जनपद प्रयागराज ।
2. मु0अ0सं0 154/2022 धारा 411/413 भादवि थाना सिविल लाइन्स जनपद प्रयागराज ।
3. मु0अ0सं0 355/2018 धारा 377/554/506 भादवि थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज ।
4. मु0अ0सं0 53/2022 धारा 147/149/323/336/354(ख)/452/506 भादवि थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार पटेल थानाध्यक्ष तिंदवारी
2. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र वर्मा
3. म0उ0नि0 श्रृष्टि नगायच
4. का0 देवाँश
5. कां0 शमशेर बहादुर
6. कां0 सुमन्त सिंह